कार्यपालक अभियंता अधिकारी [illegible]
रामजानकीनगर [illegible] बांकेबाजार
मु० नं० - 132/2018

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	टिप्पणी
	08/12/23	[illegible] 15/3/23	
	20/12/23	पत्रावली में प्रार्थीगण व अभियोजन द्वारा शीघ्र सुनवाई का पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। वकील प्रार्थीगण को शीघ्र सुनवाई का पत्र पेश करने तथा पत्रावली को अवलोकन किया गया। शीघ्र सुनवाई का पत्र स्वीकार किया जाकर वकील प्रार्थी को शीघ्र सुनवाई हेतु नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 08/01/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जनवारामगढ़	
	08/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी आज वकील प्रार्थी व प्रार्थी को बार-बार आवाज लगाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से मूल वाद की सुनवाई तिथि व अगली पेशी की स्वाधिक किया गया पाया है। अतः अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर अस्वीकार कर प्रकरण को स्वाधिक किया जाता है। पत्रावली फौजदारी [illegible] सक्षम [illegible] के पास वाद मूल दाखिल करने हेतु	

उप खण्ड अधिकारी
जनवारामगढ़

उप खण्ड अधिकारी
जनवारामगढ़